ECL आधारित लोन लॉस प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क

भारत में ऋणदाताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से संपर्क किया है और अपेक्षित साख हानि (ECL)आधारित लोन लॉस प्रोविज़निंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष का विस्तार मांगा है।

- इससे पहले जनवरी 2023 में, RBI साख हानि के लिये अपेक्षित साख हानि दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा दिशा-निर्देश लेकर आया था।

ECL आधारित लॉस लोन प्रोविज़निंग क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - RBI ने पहले साख हानि के लिये ECL दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया था, और अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद बैंकों को कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष की अवधि दी गई थी।
    - अभी अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की जानी बाकी है, यह उम्मीद की जा रही है कि उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से कार्यान्वयन के लिये वित्त वर्ष 2024 तक अधिसूचित किया जा सकता है।
  - भारतीय बैंक संघ (IBA) ने RBI से अनुरोध किया है कि ECL मानदंडों के कार्यान्वयन की तैयारी के लिये ऋणदाताओं को एक अतिरिक्त वर्ष प्रदान किया जाए।
- **ECL फ्रेमवर्क का परिचय:**
  - अपेक्षित क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क में, बैंकों को उन हानियों के लिये संबंधित प्रावधान करने से पहले क्रेडिट लॉस/साख हानि की प्रतीक्षा करने के बजाय फॉरवर्ड लुकिंग अनुमानों के माध्यम से अनुमानित क्रेडिट लॉस की भविष्यवाणी करना अनिवार्य है।
    - प्रत्येक वर्ग के आधार/ की स्थितियों पर प्रावधान किया जाएगा।
  - बैंकों को वित्तीय संपत्तियों (मुख्य रूप से अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिबद्धताओं सहित ऋण, और अपरिपक्व-से-परिपक्व या बिक्री के लिये उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेश) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी: चरण 1, चरण 2, और चरण 3, के आधार पर पहचान और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों के समय साख घाटे का आकलन किया।
- **ECL बनाम IL मॉडल:**
  - यह नया दृष्टिकोण मौजूदा "उपगत हानि (Incurred Loss-IL)" मॉडल को प्रतिस्थापित करता है, यह दृष्टिकोण लोन लॉस प्रोविज़निंग में देरी करता है जो संभावित रूप से बैंकों के लिये क्रेडिट/साख जोखिम बढ़ाता है।
  - IL मॉडल में एक महत्त्वपूर्ण दोष यह था कि आमतौर पर बैंकों ने ऋणकर्त्ता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना शुरू करने के बाद काफी देरी से प्रावधान किये, जिससे उनका क्रेडिट/साख जोखिम बढ़ गया। इससे संरचनात्मक समस्याएँ पैदा हुईं।
  - इसके अलावा, लोन लॉस की देरी से पहचान के परिणामस्वरूप बैंकों की आय में वृद्धि हुई, लाभांश भुगतान के साथ, जिसने उनके पूंजी आधार को और कम कर दिया।
- **संक्रमणकालीन व्यवस्था:**
  - यह चरणबद्ध कार्यान्वयन बैंकों को उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को अवशोषित करने में मदद करेगा।
    - कैपिटल शॉक को रोकने के लिये, RBI ने ECL मानदंडों की शुरूआत के लिये एक संक्रमणकालीन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

लोन लॉस प्रोविज़निंग क्या है?

- यह बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिये RBI द्वारा लागू एक नियामक आवश्यकता है।
- यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) या बैड लोन से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के प्रावधान के रूप में अपने आय अर्जन के एक हिस्से को अलग करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रथा को संदर्भित करता है।
  - RBI भारत में NPA को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों से अधिक के लिये अतिदेय है।
- यह बैंकों को उनके ऋण पोर्टफोलियो के सही मूल्य को सही ढंग से दर्शाने और उनके समग्र जोखिम जोखिम का आकलन करने में मदद करता है।
  - पर्याप्त प्रोविज़निंग बैंक के वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को भी बढ़ाता है और हितधारकों को इसके वित्तीय स्वास्थ्य की अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करता है।

भारतीय बैंक संघ क्या है?

- भारतीय बैंक संघ (IBA) भारत में बैंकों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसका गठन 26 सितंबर, 1946 को भारतीय बैंकिंग उद्योग के हितों को बढ़ावा देने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था।
- इसके सदस्यों में शामिल हैं:
    - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
    - निजी क्षेत्र के बैंक
    - विदेशी बैंकों के भारत में कार्यालय हैं
    - सहकारी बैंक
    - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
    - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ecl-based-loan-loss-provisioning-framework